राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए—ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर—302005

(दूरभाष नं0:—0141—2740837,, फैक्स 0141—2742309, ई—मेल:—jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :— एफ.3(ग)(1)(6) / अनु.क्षेत्र / 2022—23) / अलेसे—II / 1060   दिनांक :— 07.12.2023

आदेश संख्या :— 73/2023-24

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम—1963, के नियम—29 (2ए) के अन्तर्गत पूर्व वर्षों एवं वर्ष—2022—23 की रिक्तियों पर विचारार्थ गठित पुनर्विलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 24.08.2023 की अभिशंषा के आधार पर निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों (अनुसूचित क्षेत्र), का चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—II (अनुसूचित क्षेत्र) के रिक्त पदों पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया जाकर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—II (अनुसूचित क्षेत्र) पद के पे—मेट्रिक्स लेवल एल—11 में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

क्र.सं.	लिंक नं.	मेरिट / बैच	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	वर्ग	रिक्ति दिनांक	वि0 वि0
1.	10863	3576 / 2013	कांतिलाल बामनिया	20.05.1985	ST	01.04.2023	इनकी वरिष्ठता राजकुमार मीणा (अजजा) एवं राजेन्द्र तावड के मध्य रहेगी।
2.	12503	3621 / 2023	भूपेन्द्र खराडी	25.06.1994	ST	27.07.2022	इनकी वरिष्ठता मुकेश अहारी के नीचे रहेगी।

सेवानिवृति, मृत्यु एवं स्वै० सेवानिवृति के प्रकरणों के अतिरिक्त उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार उक्तानुसार पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पदों पर इन पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकता सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—II में क्रमोन्नत / क्रमावनत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेगें। पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

पदोन्नत अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता (inter-se seniority) यथावत रहेगी। उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.2(15)वित्त / राजस्व / 2010 दिनांक 10.10.2023 से प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन,
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :— एफ.3(ग)(1)(6) / अनु.क्षेत्र / 2022—23) / अलेसे—II / 1060   दिनांक :— 07.12.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सचिव, राज० लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज० जयपुर।
3. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष...
4. श्री.. कनिष्ठ लेखाकार (अनु.क्षेत्र), कार्यालय.............. .... को निर्देशित किया जाता है कि वे स.ले.अ. ग्रेड—II पद पर कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब को भिजवायें।
5. उप निदेशक (एसीपी) को वेबसाइट पर अपलोड एवं पीआईएस में इन्द्राज हेतु।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।
7. अलेसे—II / III / डीपीसी शाखा / ए.सी. आर. शाखा / जांच शाखा / गार्ड फाईल / निजी पत्रावली।

(के. जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)